न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अनुपम कुमार, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण संख्या-**62** सन् **2026**

उ०प्र० राज्य बनाम नागेन्द्र व **2** अन्य

मु०अ०संख्या-**451** सन् **2025**

अन्तर्गत धारा-103(1), 109(1), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता

थाना-कोतवाली चुनार, जिला-मीरजापुर।

आरोप

मैं, अनुपम कुमार, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्तगण नागेन्द्र, विशाल व तेज प्रकाश को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक 21.09.2025 को समय सायं करीब 05:00 बजे, बहदस्थान ग्राम समसपुर स्थित एपेक्स हास्पिटल मेडिकल कालेज, क्षेत्रान्तर्गत थाना-कोतवाली चुनार, जनपद-मीरजापुर में आप लोगों ने वादी मुकदमा संस्कार गुप्ता की डण्डे से मारकर हत्या कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा-103(1) सपठित धारा 3(5) के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा के दोस्त आयुष राज को जान से मारने की नीयत से डण्डे से हमला किया, जिससे यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप लोग हत्या की कोटि में आने वाले मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा-109(1) सपठित धारा 3(5) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसके दोस्त को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा-351(3) के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा व उसके दोस्त को गाली-गुप्ता देकर अपमानित किया, जिससे ऐसे अपमानित व्यक्ति के प्रकोपित होने पर लोकशान्ति भंग होने की सम्भावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा-352 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आप लोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-**30.07.2026**

(अनुपम कुमार**)**
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1902

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और अपने विचारण की मांग की।

दिनांक-**30.07.2026**

(अनुपम कुमार**)**
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP1902

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।
सत्र परीक्षण संख्या-**62** सन् **2026**
उ०प्र० राज्य बनाम नागेन्द्र व **2** अन्य

मु०अ०संख्या-**451** सन् **2025**
अन्तर्गत धारा-103(1), 109(1), 351(3), 352 भा0 न्या0 सं0
थाना-कोतवाली चुनार, जिला-मीरजापुर।

30.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण नागेन्द्र, विशाल व तेज प्रकाश व्यक्तिगत रूप से मय अधिवक्ता समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) उपस्थित हैं।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध का वर्णन करते हुए बताया कि अपराध को सिद्ध करने के लिए कैलेन्डर/आरोप पत्र में वर्णित साक्षीगण को साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाएगा, यदि आवश्यकता हुई तो अन्य साक्षीगण को भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

मैनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की आरोप पर बहस सुनी। मेरी राय में पत्रावली पर प्रथम दृष्टया यह अवधारित करने हेतु पर्याप्त आधार है कि अभियुक्तगण नागेन्द्र, विशाल व तेज प्रकाश के विरुद्ध धारा-103(1) सपठित धारा-3(5), 109(1) सपठित धारा-3(5), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता के आरोप विरचित किये जाए।

तद्नुसार अभियुक्तगण नागेन्द्र, विशाल व तेज प्रकाश के विरुद्ध धारा-103(1) सपठित धारा-3(5), 109(1) सपठित धारा-3(5), 351(3), 352 भारतीय न्याय संहिता का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 28.08.2026 को पेश हो। साक्षीगण तलब हों।

दिनांक-**30.07.2026**

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।

Digitally signed by ANUPAM KUMAR
Date: 2026.07.30 12:25:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court